न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 120/2015/ जिला–नागौर (2015/00012)

नारायण सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत, निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

––– अपीलार्थी

बनाम

1. रणवीर सिंह पुत्र लादू सिंह जाति राजपूत निवासी रासलियावास तहसील रियाबंडी जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला जरिये सरपंच।
3. तहसीलदार, रियांबड़ी

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी दिनांक 07–07–2015
अन्तर्गत अपील संख्या 08/2013 बउनवान नारायण सिह
बनाम श्री रणवीर सिंह व अन्य

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री वकील मोहम्मद, अभिभाषक प्रत्यर्थी 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रासलियास में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 62 रकबा 2.5 हैक्टर किस्म बारानी 1 अपीलार्थी व उसके भाई लूण सिंह व श्रवण सिंह के हिस्से की थी। लूण सिंह ने अपना हिस्सा बिना बंटवारे के दिनांक 08–4–2010 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान कर दिया जिसके आधार पर तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–6–2010 को ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये विवादग्रस्त सम्पूर्ण आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2015 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2015 की जानकारी अभिभाषक द्वारा नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10–10–2015 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा अवगत कराया कि मेरे द्वारा आपको उक्त आदेश की पत्र द्वारा सूचना दी थी किन्तु उक्त पत्र आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही अभिभषक द्वारा उक्त निर्णय की नकल देकर अवगत कराया कि उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय में पेश करनी होगी। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा गांव आकर फीस आदि का प्रबन्ध कर दिनांक 14–10–2015 को अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में अपील तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए मुख्य–मुख्य तर्क यह दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी व उसके भाई लूण सिंह व श्रवण सिंह तीनों भाईयों का हिस्सा अंकित है जिसमें लूण सिंह द्वारा अपना स्वयं का हिस्सा खेतों के बंटवारे के समय मौखिक रूप से अपीलार्थी को दे दिया था और उसको उक्त आराजी के बदले दूसरी आराजी दे दी गई थी जिससे लूण सिंह को उक्त आराजी का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं होने से प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त निहित है तो नामान्तरकरण भरते समय ग्राम पंचायत ने कब्जे आदि की जांच किये बिना एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं खेत का मौका देखे बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादग्रस्त आराजियात पर आज भी अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने मिलकर ग्राम पंचायत का सर्वसम्मित का प्रस्ताव बताकर कब्जे व रेकार्ड को आधार मानकर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जबकि कब्जा तो ग्राम पंचायत द्वारा देखा ही नहीं गया। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2015 एवं सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–06–2010 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील संख्या 8/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त अपील के पैरा संख्या ब में उल्लेखित किया है कि ग्राम रासलियावास में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 62 रकबा 2.5 हैक्टर किस्म बारानी 1 अपीलार्थी व उसके भाई लूण सिंह व श्रवण सिंह के हिस्से की थी। लूण सिंह ने अपना हिस्सा बिना बंटवारे के दिनांक 08–4–2010 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान कर दिया जिसके आधार पर तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–06–2010 को ग्राम पंचायत चावण्डिया द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि वास्तव में सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–06–2010 नियमानुसार विधिसम्मत तरीके से ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्ताव लेकर पदेन सचिव की उपस्थिति में व सरपंच, वार्ड पंच एंव गांव के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष विधिसम्मत तरीके से कोरम पूरा करके प्रस्ताव लेकर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था। अपीलार्थी की अपील सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के भाई लूण सिंह ने विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 62 में से अपना हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 रणवीर सिंह को दिनांक 08–4–2010 को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण भरा गया है। इस नामान्तरकरण में न तो हिस्सा खोला गया और न ही बंटवारा किया गया है। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की है जिसका धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी कोई युक्ति युक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित एवं मौखिक बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी श्री नारायण सिंह के भाई लूण सिंह द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 62 रकबा 2.5 हैक्टर किस्म बारानी 1 में से लूण सिंह द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बिना बंटवारा किये प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री रणवीर सिंह को दिनांक 08–4–2010 को बेचान कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–6–2010 तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही थी। धारा 135 नामान्तरकरण संबंधी सरसरी कार्यवाही है जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, भूमि के क्रेता के अधिकार समाप्त नहीं होते। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 व 84 नामान्तरकरण कार्यवाही विवादित सम्पत्ति के विक्रय का दावा संक्षिप्त कार्यवाही में निर्णित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के भाई लूण सिंह द्वारा अपने हिस्से की आराजियात का प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय करने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या–1 के हक में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती प्रदान नहीं की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिंडिंग है जिसमें यह तय किया जाता है कि विवादित भूमि का लगान किससे लिया जावे नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। यदि अपीलार्थी को अपने स्वत्व प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07–07–2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 21–06–2010 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07–07–2015 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2013 बउनवान नारायण सिंह बनाम ग्राम पंचायत चावण्डियाकंला व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर